



# अंत्योदय सरल



## पशुपालन और डेयरी

### स्वदेशी गौवंश के संरक्षण और विकास हेतु (गौसंवर्धन) तथा एकीकृत मुराह विकास योजना

#### योग्यता:

1. आवेदक हरियाणा का निवासी एवं 18 से 55 वर्ष तक की आयु का होना चाहिए।
2. किसी भी समूह / फर्म / संगठन को योजना के तहत आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि यह योजना व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुख है।
3. इस योजना के अन्तर्गत प्रति आवेदक अधिकतम दो दुधारु (देसी नस्ल की गायों / मुराह भैंस) पर प्रोत्साहन राशि का पात्र होगा।
4. देसी गायों का हरयाना, साहीवाल अथवा बेलाही नस्ल व भैंस का मुराह नस्ल का होना अनिवार्य है।
5. किसी विशेष दुधारु पशु के लिए प्रोत्साहन राशि जीवनकाल में केवल दो बार ली जा सकती है। यानि कि अगर दो बार एक दुधारु पशु के लिए कोई किसान प्रोत्साहन राशि ले चुका है तो उससे आगे किसी भी ब्यांत में वह पशु प्रोत्साहन राशि के लिए योग्य नहीं होगा।

**नोट:** प्रति आवेदक के अधिकतम दो दुधारु पशु (देसी नस्ल की गायों / मुराह भैंस) इस योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र होंगे। हालांकि, उत्तम नस्ल की देशी गायों / मुराह भैंस का विवरण (डाटा) एकत्र करने हेतु किसी भी किसान से संबंधित सभी / जितना सम्भव हो, उतने पशुओं की दुध रिकार्डिंग की जा सकती है। परन्तु उस आवेदक को प्रोत्साहन राशि किसी निश्चित वर्ष में केवल दो दुधारु पशुओं (देसी नस्ल की गायों / मुराह भैंस, उच्चलम स्लैब में) के लिए प्रदान की जाएगी।

#### मिलने वाला लाभ:

इस योजना के अन्तर्गत हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की सभी गायें व मुराह भैंस, जो अधिकतम दुग्ध पैदावार के न्यूनतम मानकों को पूरा करती हैं, उनकी सन्तति (संतान) सहित पूरी पहचान (कान के टैग सहित) की जाएगी और इन दुधारु पशुओं के मालिकों को



# अंत्योदय सरल



5,000/- रुपये से 20,000/- रुपये (देशी गायों के लिए) व 15,000/- रुपये से 30,000/- रुपये (मुराह भैंस के लिए) तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। चुनी गई गायों व मुराह भैंसों के दुग्ध उत्पादन को रिकार्ड करने उपरांत चार महीने बाद पशु मालिकों को विभिन्न श्रेणियों (स्लैब) पर निम्नलिखित दरों अनुसार प्रोत्साहन राशि दी जाएगी:-

सहीवाल गाय	
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रुपये)
10 से 12	10,000/-
>12 से 15	15,000/-
15 से अधिक	20,000/-

हरयाना गाय	
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रुपये)
8 से 10	10,000/-
>10 से 12	15,000/-
12 से अधिक	20,000/-

बेलाही गाय	
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रुपये)
5 से 8	5,000/-
>8 से 10	10,000/-
10 से अधिक	15,000/-

मुराह भैंस	
अधिकतम दुग्ध उत्पादन की श्रेणी (किलोग्राम में)	प्रोत्साहन राशि (रुपये)
18 से 22	15,000/-
>22 से 55	20,000/-
25 से अधिक	30,000/-



# अंत्योदय सरल



प्रदान की गई प्रोत्साहन राशि के एवज में पशुपालक पर यह दायित्व होगा कि वह दर्ज की गई स्वदेशी गाय/मुराह भैंस व उसकी नर संतान को कम से कम एक वर्ष तक न बेचे। लाभार्थी पशुपालक नर बछड़े/कटड़े की ठीक से रख रखाव के लिए बाध्य होगा और विभाग के पास उसे खरीदने का पहला अधिकार होगा। अगर लाभार्थी उपरोक्त अनुबंध का पालन नहीं करता है तो वह नकद प्रोत्साहन के अलाए पात्र नहीं होगा। पशुपालक द्वारा अपनी दर्ज की गई स्वदेशी गाय/मुराह भैंस का प्रजनन कृत्रिम गर्भादान द्वारा करवाना अनिवार्य होगा।

## आवश्यक दस्तावेज:

1. परिवार पहचान पत्र (PPP ID) (अनिवार्य)
2. पैनकार्ड (अनिवार्य)
3. बैंक पास बुक अथवा रद्द किया हुआ चेक अपलोड करें (अनिवार्य)

## सेवा शुल्क:

सरकारी शुल्क	केन्द्र सेवा शुल्क	अटल सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) सेवा शुल्क
कोई शुल्क नहीं	10/- रुपये	10/- रुपये

**आरटीएस समय सीमा:** आवेदक द्वारा आवेदन के 30 दिन के अन्दर - अन्दर।